संघिय प्रणाली

नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण
पुस्तिका श्रृंखला
२

संवैधानिक संवाद केन्द्र
CENTRE FOR CONSTITUTIONAL DIALOGUE

संवैधानिक संवाद केन्द्र

प्रकाशक

संवैधानिक संवाद केन्द्र
पहला संस्करण : २०६५ साल
प्रतिलिपि अधिकार © संवैधानिक संवाद केन्द्र सर्वाधिकार सुरक्षित ह । सामाग्री कें स्रोत के रुप में संवैधानिक संवाद केन्द्र के प्रति साभार व्यक्त कके गैरव्यवसायिक प्रयोजन खातिर ई पुस्तिका के अंश के पुनःप्रकाशन आ/वा अनुवाद के एगो प्रति संवैधानिक संवाद केन्द्र के उपलब्ध करावें के पडी ।

साज सज्जा आ मुद्रण

प्रिन्ट प्वाइन्ट पब्लिसिङ, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौ ।

ज्यादा जानकारी खातिर वा ई पुस्तिका खातिर नीचे दिहल पता में सम्पर्क कइल जाय ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तीसरा तला, अल्फा वेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ ।
टेलिफो नं ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : info@ccd.org.np
वेबसाइट : www.ccd.org.np

संघीय प्रणाली

२

संघिय प्रणाली १
परिचय १
सहकार्य के महत्व २
बिबाद समाधान ३
संघिय राज्य के राजनैतिक अर्थशास्त्र ३
संघियता के स्थापना ४
नेपाल में संघियता ५
आधारभुत संबैधानिक बिकल्प ६

संघिय प्रणाली

नेपाल के अन्तरिम संबिधान २०६३ के धारा १५९ (१) नेपाल के एगो संघिय राज्य घोषणा कइले बा लेकिन संबिधान मे संघियता के प्रकृति, संरचना आ ई अर्न्तगत ब्यवस्था होय वाला निकाय के सम्बन्ध मे पुरा रुप से उल्लेख नईखे कइले । संबिधान सभा ई सब बात के निर्णय कके नवका संबिधान मे समावेश करी ।

संघियता निचे दिहल गइल उद्धेश्य सहित के एगो राजनैतिक प्रणाली ह ।

» राज्य के समावेशी बनावे खातिर,

» सरकार के जनता के नजदिक पहुँचावे खातिर ।

बिश्व के २५ गो से ज्यादा देश मे बिबिध प्रकार के संघिय प्रणाली के शासन ब्यवस्था अस्तित्व मे बा । कई महादेश के कई छोट आ बड देश मे ई प्रणाली के स्विकार कइल गइल बा ।[१]

संघियता के द्धारा ही राज्य समावेशी भा सरकार जनता के नजिक ना होसकेला ई बात समझे के जरुरी बा । राज्य के संरचना जईसन भइले से भी लक्ष्य पावे के खातिर मानव अधिकार आ सुशासन के सम्मान कइल जाला ।

अपने प्रकार के संघियता अपनावे खातिर नेपाल के सहयोग देवेवाला बातचित के सुसुचित करे के उद्धेश्य से ई परिचायत्मक पुस्तिका मे मननीय आधारभुत बिकल्प सब के बिषय मे ब्याख्या कइल गइल बा ।[२]

परिचय

नेपाल मे संघियता अपनावे के बिषय मे निर्णय हो चुकल बा । तसर्थ नेपाल खातिर कइसन संघियता उचित होई एह बिषय मे छलफल कके संबिधानसभा के निर्णय करेके बा । एह सन्दर्भ मे बिगत मे हासिल भइल ज्ञान आउर अन्य संघिय प्रणाली के अनुभव से उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेला ।

---

१ अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया तथा हर्जगोभिना, ब्राजिल, क्यानाडा, कमोरोस, इथियोपिया, जर्मनी, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, माइक्रोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, रुस, सेन्ट किट्स तथा नेभिस, स्विट्जरल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका आ भेनेजुयला । कुछ देश सब (दक्षिण अफ्रिका आ सुडान) में सङ्घीय प्रणाली भइले से भी कुछ कारण से ओकरा सव ई शब्दावली के प्रयोग ना करेला । आउर कुछ देश सब (इराक र सुडान) सङ्घीय प्रणाली मे रूपान्तरित होवे के प्रक्रिया में रहेला ।

२ संघियता के सम्बन्ध में प्रख्यात लेखक जर्ज एन्डरसन के पुस्तक 'Federalism: An Introduction' (Oxford University Press, 2008) के नेपाली अनुवाद 'सङ्घीयता : एक परिचय' संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा प्रकाशित भइल बा । अनुरोध कइले से ई पुस्तक उपलब्ध हो सकेला ।

संघिय राज्य मे सार्वभौमसत्ता आ बिधायिकी शक्ति संबैधानिक रुप से केन्द्रिय, संघिय प्रशासकिय निकाय आ देश के खास क्षेत्र वाला संघिय राजनैतिक एकाई के बीच मे बटवारा भईल रहेला। एकरा सब के अस्तित्व संघिय संबिधान से तय भईल रहेला। ई संघिय एकाइ सब के राज्य, क्षेत्र आ प्रान्त जइसन नाव से पहचानल जाला।

ई सब चाहे जौन नाव से पहचानल जाय लेकिन एह आधार पर बिकेन्द्रिकरण के स्तर ना पता चलेला। एकर निर्धारण संबिधान के द्वारा कईल जरुरी होखेला।

संघिय राज्य मे शक्ति बंटवारा करे के खातिर उपयोगी प्रणाली बहुत प्रकार के होखेला। कई संघिय राज्य मे बहुत प्रकार के समान बिशेषता बा। केन्द्रिकृत संघ मे राज्य आ प्रान्तिय सरकार के शक्ति के सब तुलनात्मक रुप से कम रहेला।

लेकिन बिकेन्द्रित संघ मे निचले तह के एकाई सब के अधिकार ज्यादा रहेला। संघिय एकात्मक राज्य प्रणाली से अलग ह आ ई प्रणाली मे उप राष्ट्रिय संस्था सब केन्द्रिय सरकार से अधिकार पावे के नाता से केन्द्र के मातहत मे रहेला। अधिकाँश संघ मे संघिय एकाइ सब पुरा तरह से सार्वभौम ना रहेला आ ई संघ से अलग भि ना हो सकेला।

सहकार्य के महत्व

संघिय संरचना एगो साझा सरकारयुक्त प्रणाली ह। ई प्रणाली के सफलता आ ऐकर ब्याख्या करे वाला नियम सब के स्पष्टता आ साझेदार सब के सहमति के स्तर सब मे निर्भर रहेला। बिद्यमान केन्द्रिय आ स्थानिय सरकार सब राज्य के अन्य निकाय सब राजनैतिक दल सब आ सामाजिक जातिय समुह सब के अलावा बृहतर रुप से सर्वसाधारण सब के सहमति मे से आवल जाला।

संबिधान सब तह के सरकार के काम आ अधिकार के प्रत्याभुति करेला। संबिधान के संसोधन ना कके येह मे कौनो परिवर्तन ना हो सकेला।

सामान्य रुप से, कौनो निश्चित क्षेत्र मे संबिधान द्वारा अधिकार देहल के अवस्था मे निचले निकाय मे संघिय संस्था सब आ संघिय कानून के सर्वोच्चता रही ई बात के उल्लेख संबिधान मे भईल रहेला। ई सर्वोच्चता के संघिय ईकाई सब के अधिकार आ श्रोत सब के स्तर के प्रत्याभुति से सन्तुलित कइल रहेला आ ऐह मे संबिधान संसोधन कके ही परिवर्तन हो सकेला। कुछ देश मे संघिय एकाई सब के अलग संबिधान बा आ ई संबिधान से एकाइ के संस्था सब के कार्य संचालन के नियमन करे के अलावा संघिय संबिधान से मिलल अधिकार के पुर्ण बनावे के काम करेला।

संघिय तह आ निचला तह के बीच अधिकार बंटवारा सम्बन्धी बिषय मुख्य रुप से राष्ट्र के बिधायकी आ प्रशासनिक काम से सम्बन्धित रहेला । संघिय एकाई के सरकार सब संघ के खातिर भा एकर तरफ से कार्य संचालन करत संघिय कानुन कार्यान्वयन करे के काम करेलन । सब क्षेत्र के स्थानीय तह मे संघ खुद के कार्यान्यवनकारी संरचना ना भइला के कारण से अईसन हो सकेला ।

खास कके राष्ट्रिय मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, अर्न्तराष्ट्रिय व्यापार, अर्न्तराष्ट्रिय सन्धी सब के अनुमोदन आ राष्ट्रिय तह के पुर्वाधार सम्बन्धी योजना निर्माण आ बिकास से सम्बन्धित मामला सब केन्द्रिय सरकार के कानुनी अधिकार मे रहेला । आधारभुत शिक्षा, आ स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वातावरणीय संरक्षण, स्थानीय निर्वाचन, स्थानिय सुरक्षा, आ स्थानीय कर संकलन सामान्य रुप से एकाई के सरकार के कानुनी अधिकार आ प्रशासन अर्न्तगत रहेला ।

कहियो कहियो, संघिय सरकार निश्चित मापदण्ड भि तय करेला । निचला तह के सरकार सब शिक्षा वा स्वास्थ्य वा अन्य बिषय सम्बन्धी आपन नीति सब बनावे के दरमियान मे ई मापदंड सब के माने के चाँही ।

कहियो कहियो, कानून निर्माण करे के नवाँ क्षेत्र देखल जा सकेला आ एकरा बिषय मे संबिधान मे ना भि उल्लेख हो सकेला । अईसन बिषय मे कउन तह के सरकार कानून बना सकेला ई चीज संबिधान मे किटान होए के चाँही । कानूनी भाषा मे एह के अवशिष्ट अधिकार कहल जाला । कुछ देश के संबिधान अईसन अवशिष्ट अधिकार के स्थानिय (निचले) एकाई के देहल रहेला ।

बिबाद समाधान

संघ से सिर्जित एकाइ के अधिकार मे कानून निर्माण के अधिकार रहेला कि ना रहेला ई बिषय मे हर संघिय राज्य मे बिबाद देखल गईल बा । कई संघिय देश मे संबैधानिक अदालत ऐसन बिबाद के समाधान करेला । अन्य राष्ट्र मे ऐसन बिबाद समाधान करे के जिम्मेदारी सर्वोच्च अदालत के कार्य क्षेत्र मे रहेला । संघिय प्रणाली के सुसंचालन खातिर सब सरकार द्धारा अदालत के निर्णय स्विकार करे के चाँही ।

संघिय राज्य के राजनैतिक अर्थशास्त्र

संबिधान से निर्दिष्ट काम सब प्रभावकारी रुप से कार्यान्वयन करे के खातिर केन्द्रिय आ स्थानीय तह के एकाई सब के समानुपातिक रुप मे श्रोतसाधन सब बिनियोजन करे के चाँही कहके पुर्वज्ञान सामान्य रुप संघिय संबिधान के रहेला । संघिय एकाई सब के कर सम्बन्धि स्वायत्तता

के नियमन कम रुप मे कईल रहेला । कई संघिय एकाई बिच के सामाजिक आ आर्थिक बिकास के स्तर उल्लेख्य रुप मे फरक होए के बजह से पुरा राष्ट्र भर के खातिर समतामुलक आर्थिक आ सामाजिक बिकास सम्भव बनावे खातिर कई देश मे बित्तिय संघियता वा बित्तिय बिकेन्द्रिकरण के व्यवस्था भइल रहेला ।

बिभिन्न संघिय ढाँचा मे सरकार के अलग अलग तह के बीच श्रोत के बिभाजन फरक फरक हो सकेला ।

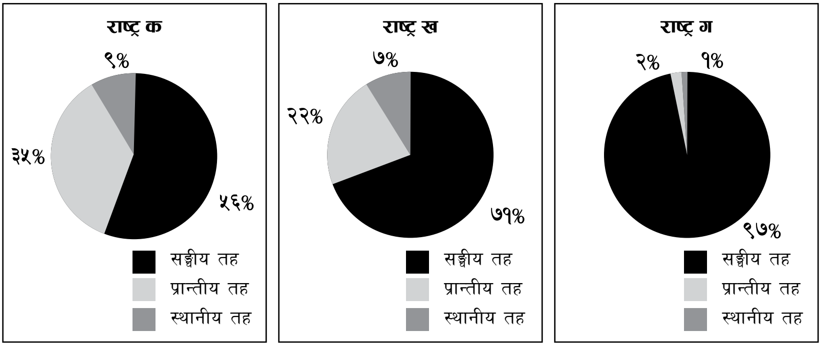

चित्र १ : उपकेन्द्रीय सरकार के कर स्वायत्तता (तीन गो संघिय राष्ट्र मे कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप मे उपकेन्द्रिय तह मे संकलन भइल कर राजस्व के प्रतिशत् (सन् २००२) : संघिय तह (गाढा भाग) राज्य अक्षेत्र, प्रान्ततह (हल्का रंग) स्थानीय तह ।

संघियता के स्थापना

बहुजातिय, बहुभाषिक आ बहुसाँस्कृतिक देश सब मे बिबिधता के स्विकार कर के साथ साथे राष्ट्रिय पहचान निर्माण कायम कर के खातिर संघियता अपनावल गइल बा । कुछ देश आपन क्षेत्रिय पहचानवाला समुदाय सब के सशक्तिकरण करे खातिर आ बिबिधता भा समावेशीता खातिर स्थान सिर्जना करे के सम्बन्ध मे संघियता ही एगो उपाय नइखे । अन्य उपाय सब शैक्षिक नीति, आर्थिक बिकास, भाषिक नीति, साँस्कृतिक कार्यक्रम सब, निर्वाचन प्रणाली मे प्रावधान आरक्षण सकारात्मक बिभेद सब हेा सकेला । संघिय प्रणाली से ही राज्य समावेशी हो सकेला जरुरी ना बा ।

नेपाल मे संबिधान सभा के चुनाव करावें के आ अन्तरिम संबिधान २०६३ पारित करावें तक के कृयाकलाप सब सरकार के जनता के पास पहुँचावे के ईच्छा से अंशिक रुप मे उत्प्रेरित

रहल बा। एह नाता से अपने के निर्वाचित करे वाले जनता के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होवें के, सीमान्तीकृत लोगन के सशक्तिकरण करे के आ सार्वाजानिक मामला मे बृहत्तर बिबिधता र्सिजना करे में सरकारी अधिकारी सब के सहयोग हो सकेला।

नेपाल के संघिय संरचना खातिर निचला तह के एकाइ सब के ब्याख्या करे के क्रम मे संबिधान मस्यौदाकार लोगन के कई पक्ष सब मे ध्यान देवें के चाँही। एह लोग के जाति, भाषा, आ जातिगत समुह सब, जनसाँख्यिक, भौगोलिक आ सामाजिक आर्थिक बिषय सब के राजनैतिक। ऐतिहासिक सन्दर्भ आ प्राकृतिक, श्रोत पर ध्यान देवे के चाँही।

अलग अलग संघिय देश सब मे संघिय एकाइ सब के आकार, संख्या आ अनुपात अलग अलग रहेला संबिधानद्धारा निर्धारित जिम्मेजारी के कार्यान्वयन करे खातिर निचले तह के एकाई सब मे पर्याप्त श्रोतसाधन होवें के चाँही। सब संघिय राज्य धिरे धिरे संघिय एकाई के संख्या, आकार आ सरकार के तह सब बीच के सम्बन्ध मे परिवर्तन भइल महशुस कर सकेलन। बुद्धिमानी पुर्वक निर्माण भईल संघिय प्रणाली मे कुछ हद तक के लचकता आ ब्यवस्थित परिवर्तन के स्विकार करेला।

नेपाल में संघियता

शताब्दियो से नेपाल मे एकात्मक आ केन्द्रिकृत पद्धति रहत आइल बा। अहबिन तक राष्ट्र के आधारभुत संरचना में उल्लेख्य परिवर्तन करे के ओर प्रजातान्त्रिकरण प्रक्रिया अग्रसर होत ना देखल गईल। संघिय संरचना के अवलम्बन से ई परम्परा से सारभुत रुप मे अलग मार्ग अपना सकेला।

केन्द्रिय सरकार परम्परागत रुप मे देश के एगो एकाई के रुप मे ही शासन करत अइल रहे। देश के बिकास क्षेत्र, अंचल आ जिल्ला सब मे बिभाजन कइले पर भी ई सब केन्द्रिय सरकार एककठठा अधिकार मे रहत आईल बा। ई एकाई सब के कौनो स्वतन्त्र आ स्वायत्त हैसियत नईखे बा। क्षेत्र आ अंचल स्तर के निर्वाचन ना होला। स्थानीय निकाय सब के कानुनी हैसियत प्राप्त निकाय के रुप मे निर्माण कईले पर भि ऐकर सब के आपन कउनो अधिकार ना दिहल बा। ई निकाय सब के केन्द्र से अधिकार प्रत्यायोजन कइल रहेला। ई अधिकार सब कउनो संबैधानिक प्रत्याभुति के आधार मे ई निकाय सब मे निहित ना रहेला। केन्द्रिय सरकार, क्षेत्र, अंचल आ जिला सब के अधिकार कम, बढा, भा खारेज कर सकेला।

संविधान सभा से संबोधन करे के कुछ विषय

» संघिय एकाई सब के अधिकार आ जिम्मेदारी के परिभाषित करे के चाँही ;

» संबैधानिक जिम्मेदारी निर्वाह खातिर आवश्यक स्रोत साधन सब हर ईकाई के सुनिश्चित करे के चाँही ;

» देश के सब जनता के आधारभुत मानव अधिकार, स्वतन्त्रता आ सुरक्षा के प्रत्याभुति आ संरक्षण करे वाला संघिय संरचना निर्माण करे के चाँही ;

» नेपाल के बिबिधतायुक्त सामाजिक साँस्कृतिक पृष्ठभुमि के आधार पर संघिय संरचना निर्माण करे के चाँही ;

» संघिय तह आ निचला एकाइ दुनो में सीमान्तिकृत समुदाय के समावेशीकरण के बढावें खातिर संघिय संरचना निर्माण करे के चाँही ;

» आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित आ महिला के अधिकार के प्रत्याभुति होवें के चाँही ;

» संघिय संरचना मे सार्वजानिक बित्त व्यवस्थापन खातिर उपयुक्त उपाय के बिषय में निर्णय करे के चाँही ;

» राष्ट्रिय स्तर मे संघिय एकाई सब के दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व करावे खातिर संघिय बिधायिका मे उपरी सदन सहित के दु सदनात्मक प्रणाली स्थापना करे के बिषय मे बिचार करे के चाँही ;

» संबैधानिक बिबाद निरुपण करे खातिर स्वतन्त्र सक्षम आ प्रभावकारी न्यायिक संयन्त्र स्थापना करे के चाँही ;

» अन्तर-सरकारी सम्बन्ध ऐकर कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रक्रिया सब आ अन्तर निकाय अंग सब मे सहयोग पहुचावें के तरिका के बिषय मे भी बिचार करे के चाँही ;

आधारभुत संबैधानिक बिकल्प

संघिय संरचना के कुछ आधारभुत बिकल्प ईहाँ प्रस्तुत कइल गईल बा बाकिर ई न त बिस्तृत बा ना हि एक दोसरा से अलग बा। नेपाल के अन्त्य मे सब सान्दर्भिक बिषय सब के ध्यान मे लेंकें एगो मिश्रित प्रणाली अवलम्बन करे के चाँही।

संघिय प्रणाली समय के साथ साथे परिपक्व होइत रहेला। नेपाल के संघियता के कउनो परम्परा अनुभव नइखे बा आ ई लोकतान्त्रिक प्रणाली खातिर क्षमता के बिकास करे के क्रम मे बा। एह नाता से संघिय संरचना अवलम्बन कइला के बाद समाधान करे वाला बहुत मुद्धा सब स्वभाविक रुप से सामने आवे वाला बा। प्रारम्भिक चरण मे कई बिषय मे निर्णय प्रक्रिया आ कार्यान्वयन प्रक्रिया सब मे देखाई देवें वाला समस्या सब के पुर्वानुमान करे के चाँही। ओही तरह से, आर्थिक

स्रोत आ बिकास के अवसर सब में असमानता, जातिय अधिकार माग करे वाला समुह सब के बीच मे असमझदारी, बिभाजन आ बिखण्डन सब मुख्य चुनौती हो सकेला ।

संघिय शासन प्रणाली के सफल संचालन के आधार सब लोकतन्त्र, बिधि के शासन आ मानव अधिकार होखी ई बात सब के बुझल महत्वपुर्ण बा ।

क) शक्ति बंटवारा के मुद्दा

बिकल्प	सबल पक्ष/लाभ	चुनौती
१) सशक्त केन्द्रिय सरकार	» सहज निर्णय प्रक्रिया » केन्द्र सब निकाय सब के समान व्यवहार कर सकेला, » निकाय सब के निरन्तर केन्द्रिय सहयोग » बिकास कृयाकलाप के आवश्यकता के मोताविक शक्ति निक्षेपण के अधिक सम्भावना » बिखण्डन बिरुद्द संरक्षण	» केन्द्रिय सरकार से हस्तक्षेप के सम्भावना से एकाई सब डर सकेलन » पहचान के उग्र आकाँक्षा के कारण समुदाय के बीच मे नवाँ तनाव पैदा हो सकेला । » सरकार जनता से दुर रहे वाला बात के निरन्तरता मिल सकेला
२) सशक्त निचला तह के सरकार	» पहचान के आकाँक्षा पुरा हो सकेला, » आपन मतदाता के प्रति स्थानिय सरकार के अधिक उत्तरदायित्व, » सरकार जनता के ज्यादा नजदिक ,	» स्थानीय आभिजात्य बर्ग के उदय से एकाई मे रहे वाला अल्पसंख्यक जोखिम में हो सकेलन, » क्षेत्र, प्रान्त मे कानुन / मापदण्ड के असमान कार्यान्वयन ।
३) सहयोगात्मक संघियता	» केन्द्र आ एकाई के बीच दिगो पारस्परिक सहकार्य » संयुक्त आयोजना सब आ बिकास प्रक्रिया के आगे बढावें के सम्भावना » केन्द्र के निरन्तर सहयोग	» केन्द्रिय सरकार के शक्ति बढावे के ईच्छा , » परनिर्भरता बढे के सम्भावना ।
४) निचले तह के एकाई के समान अधिकार	» समान स्तर मे स्वशासन आ स्वायत्तता के अधिकार » ऐतिहासिक भा सामाजिक पृष्ठभुमि के आधार पर कउनो भी एकाई के भेदभाव ना हो सकेला । » समानता के अधिकार ।	» आर्थिक आ सामाजिक स्थिती कमजोर भइल अबिकसित दुर्गम क्षेत्र मे आउरो बोझा बढ सकेला

५. नीचला तह के एकाइयन के विविध अधिकार	» एकाइयन के ओकनी के स्थिति, आवश्यकता आ सहमति के आधार पर शक्ति निक्षेपीकरण भा बँटवारा, » योग्यता आ क्षमता के कदर ।	» केन्द्रीय सरकार के बहुते बरियार होत जाएके संभावना, » राजनीतिक शक्ति कम रहल प्रान्त सब के केन्द्र से समान स्तर पर वार्ता ना कर सकेके अवस्था ।

ख) जाति भुगोल आ स्रोतसाधन सम्बन्धी मुद्दा ।

बिकल्प	सबल पक्ष/लाभ	चुनौती
१) जाति भाषा, धर्म संस्कृति भा पहचान मे आधारित संघियता	» सब जनजाति भाषा, धर्म आ संस्कृति के पहचान के प्रति सम्मान । » अल्पसंख्यक के बहिष्कृत भा सीमान्तिकरण ना हो सकेला । » स्थानिय श्रोतसाधन पर स्थानीय जनता के अधिकार ।	» साम्प्रदायिक बिरोध के सम्भावना । » पृथकता के माग से राष्ट्र बिखण्डन होवें के खतरा ।
२) भौगोलिक बिभिन्नता, आर्थिक बिकास के सम्भाब्यता आ प्राकृतिक श्रोत के बितरण मे आधारित ।	» स्थानिय श्रोत मे स्थानिय जनता के अधिकार ज्यादा सुनिश्चित हो सकेला । » आर्थिक बिकास के प्रचुर सम्भावना । » बिद्यमान संरचना के निरन्तरता ।	» एकाई के बीच श्रोत साधन के बिद्यमान अन्तर के कारण असमानता बढ सकेला । » अल्पसंख्यक बहिष्कृत भा सीमान्तिकृत होवें के सम्भावना । » जातिय, भाषिक पहचान के मुद्दा संबोधन ना हो सकेला ।
३) बिकल्प (१) आ (२) के संयोजन	» जातिय आ आपन पहचान के मुद्दा बनावें वाला समुदाय के आकाँक्षा आ सामाजिक आर्थिक यथार्थ आ सीमा के बीच सन्तुलन हो सकेला ।	» कौनो भी समुदाय के अलग कके आ कौनो अब्यवहारिक राज्य संरचना निर्माण ना कके उचित सन्तुलन खोजे के चाँही ।

पुस्तिका-शृंखला के सम्बन्ध में

संविधान सभा के सदस्य लोग आ इच्छुक सर्वसाधारण के संविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करावले एह पुस्तिका-शृङ्खला के उद्देश्य ह । एह प्रकाशन सब के संवैधानिक परिणाम के बारे में कौनो किसिम से पूर्व अनुमान करेवाला अवधारणपत्र भा प्रस्ताव भा मनसाय नइखे । ई शृङ्खला संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के 'नेपाल में सहभागितामूलक संविधान निर्माण खातिर सहयोग (एसपीसीबीएन) परियोजना' के समन्वय में नेपाली आ अन्तरराष्ट्रिय संविधानविद् लोग के सामूहिक प्रयास के प्रतिफल ह ।

एह पुस्तिका सब के आउर परिस्कृत बनावे वास्ते प्रतिक्रिया आ टिप्पणी खातिर विशेष अनुरोध कइल जा रहल बा । बेसी से बेसी सुसूचित, प्रतिवद्ध आ रचनात्मक बतकही के प्रोत्साहित करे में एह प्रकाशन सब के सफल भइले पर अपेक्षित उद्देश्य हासिल हो सकेला । प्राप्त टिप्पणी सब के आधार पर एह पुस्तिका सब के नया आ अतिरिक्त संस्करण तइयार कइल जा सकेला ।

एह शृङ्खला के नेपाल के कुछ प्रमुख राष्ट्रभाषा में अनुवाद करेके क्रम में उच्च गुणस्तर कायम राखत सम्बन्धित भाषा के बहुसंख्यक मातृभाषी लोगन के समझ में आवेवाला सही शब्दावली के प्रयोग करेके पूरा प्रयास कइल गइल बा । शब्दावली के उपयुक्त आ सही प्रयोग के बारे में विभिन्न भाषिक समुदायन के बीच में भविष्य मे बतकही आ बहस होएके अपेक्षा कइल जा सकेला । संवैधानिक संवाद केन्द्र के उद्देश्य अइसन बहस के कौनो प्रकार से ओझल कइल ना होके ओह भाषा सब के भी समावेश कके एह प्रयास मे समावेशीकरण आ पहुँच के अधिकतम वृद्धि कइल ह ।

ई पुस्तिका देश में संविधान निर्माण से सान्दर्भिक विषयवस्तु के सम्बन्ध में संवैधानिक संवाद केन्द्रद्वारा तइयार कइल जा रहल शृङ्खलावद्ध पाठ्यसामग्रियन के एगो अंश ह ।

सभासद लोग के साथे एह विषयवस्तु से मतलब राखेवाला सर्वसाधारण लोग के प्रमुख संवैधानिक अवधारणा आ मुद्दा सब में सरिक करावल एह शृङ्खलावद्ध प्रकाशन के उद्देश्य ह । शृखला अन्तर्गत के हर पुस्तिका नेपाल मे बोलल जाएवाला प्रमुख भाषा सब (नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, मगर, तामाङ, नेवार) आ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध बा । एह पाठ्यसामग्रियन के श्रब्य संस्करण (कैसेट, सिडी) भी उपलव्ध भइला के अलावा एह सब सामग्रियन के ऑनलाइन पर भी राखल गइल बा ।

पहिल चरण में एह प्रकाशन शृङ्खला में समीटल जाएवाला विषयवस्तु एह प्रकार बा : राज्य आ धर्म, संघीय प्रणाली, संविधान में मानव अधिकार, आदिवासी जनजाति के अधिकार, अल्पसंख्यक लोग के अधिकार, सरकार के प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण आ सहभागीतामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया ।

संवैधानिक संवाद केन्द्र
तीसरा तला, अल्फा वेटा कम्प्लेक्स, नयाँ बानेश्वर काठमाडौ
टेलिफोन नं. ९७७-१-४७८५४६६/४७८५४८६/४७८५९९८
ई-मेल : **info@ccd.org.np**
वेबसाइट : **www.ccd.org.np**